International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 12-12-2021, Accepted: 27-12-2021, Published: 12-01-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 21-24

स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थितिः एक अध्ययन

आकाश वर्मा[1], निधिबाला[2]
[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, वी. एस. एस. डी. (पी. जी.) कालेज कानपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
शिक्षा मानव जीवन को उन्नत बनाने का सशक्त माध्यम है। यह मानव जीवन का अभिन्न अंग है। स्त्री तथा पुरुष जीवन रूपी रथ के दो सहगामी पहिए हैं इन दोनों के परस्पर संबंधों के बीच रथ का संचालन होता है इसलिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता बालकों को उतनी ही बालिकाओं को भी है। शिक्षा समाज में लोगों के अन्दर नैतिक मूल्यों का विकास करती है ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना अनिवार्य है। प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् बालिका शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों, स्वतंत्र भारत में बालिका की साक्षरता की स्थिति, बालिकाओं का नामांकन, वर्तमान में बालिका शिक्षा की धीमी गति के कारण का अध्ययन किया है साथ ही वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बालिका शिक्षा के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी अध्ययन किया गया है।

मूल शब्दः बालिका शिक्षा, विद्यालय, सरकारी योजनाएं, बालिका साक्षरता, बालिका नामांकन

प्रस्तावना
शिक्षा मानव जीवन को उन्नत बनाने का सशक्त माध्यम है। यह मानव जीवन का अभिन्न अंग है। स्त्री तथा पुरुष जीवन रूपी रथ के दो सहगामी पहिए हैं इन दोनों के परस्पर संबंधों के बीच रथ का संचालन होता है इसलिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता बालकों को उतनी ही बालिकाओं को भी है। कोई भी बालिका जो किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय से संबंध रखती हो उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का विकास और उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, अभिरूचियों के विकास के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा आवश्यक है किन्तु प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अति आवश्यक है। भविष्य की सम्पूर्ण शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर ही आधारित होती है।
औपचारिक शिक्षा तंत्र की नींव प्राथमिक शिक्षा है। कोई भी देश अपनी नींव को मजबूत किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा 1951 में यह संस्तुति दी कि राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे (मन्नान 2016)। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बालिका शिक्षा के प्रसार तथा गुणात्मक क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई परंतु इस प्रगति को बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। संसार के उन्नतशील देश हमसे इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बालिकाओं को जागरूक बनाने एवं उनका सामाजिक उत्तरदायित्व समझाने के बालिका शिक्षा अत्यंत आवश्यक है (नटानी 2010)। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 13.2 करोड़ बालिकाएं विद्यालय से बाहर हैं और भारत में लगभग 40 प्रातिशत किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं। भारत स्कूल न जाने वाले लड़कियों के मामले में 10वां सबसे बड़ा देश होगा। (मलाला फंड रिपोर्ट 2020) बालिकाओं का शिक्षित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं पूरी दुनिया की आधी आबादी हैं। यदि किसी देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त होना है तो उन्हें बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

स्वतंत्रता के पश्चात् बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रयास
भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों की स्थापना की गयी। बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए निम्न प्रयास किए गए।

- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) ने स्त्री शिक्षा के लिए अपने प्रतिवेदन में कहा कि शिक्षा को स्त्री और पुरुष के लिए सीमित करना है तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाए क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने अपने सुझावों में कहा कि बालिकाओं के लिए पृथक स्कूल खोले जाएं क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाना संभव होगा। गृह विज्ञान, संगीत, चित्रकारी आदि की शिक्षा का प्रबंध किया जाए साथ ही लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए।
- श्रीमति दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958–59) ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापिकाओं को तैयार करने हेतु स्त्रियों के लिए एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बालिकाओं को मुफ्त में किताबें और पोशाकें दी जाए और अच्छी उपस्थिति दिखाने वाले बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाए।
- श्रीमति हंसा मेहता समिति (1962) ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में सहशिक्षा प्रणाली अपनायी जाए। प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं के अनुपात में वृद्धि की जाए। बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित की जाएं।
- भक्त वत्सल्य समिति (1963) ने बताया कि अध्यापिकाओं को विशेष भत्ते प्रदान किए जाएं साथ ही अधिक से अधिक अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाएं। बालिकाओं के अध्ययन के लिए बालकों के विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत तैयार किया जाए। बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) ने बताया कि लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार हर प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें से एक पुरुष और एक महिला होगी। शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यौन विभेद न करने की नीति को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जनार्दन रेड्डी समिति (1992) ने बताया कि लड़कियों की शिक्षा की समस्या को जातिगत और क्षेत्रीय अवरोधों का सामना करना पड़ता है अतः शिक्षा में लड़कियों की सहभागिता का गहन निरीक्षण करना चाहिए और ऐसी सहभागिता में बाधक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994) इस कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन 48 से 49 प्रतिशत तक बढ़ गया था।
- सर्व शिक्षा अभियान (2001) इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2010 तक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना थां। इस अभियान के द्वारा बालिकाओं के नामांकन और विद्यालय में ठहराव बढ़ा।
- कस्तूरवा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना (2004) यह योजना पिछड़े विकास खण्डों में बालिका शिक्षा के विकास के लिए 2004 में अपनायी गयी। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ायी छोड़ चुकी बालिकाओं को विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार बन गयी, जिसके कारण बालिकाओं का नामांकन व शिक्षा की गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हुई।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुसार बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन, शालात्यागी बालिकाओं को विद्यालय में पुनः वापस लाना साथ ही बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष फंड की व्यवस्था की गयी है।

बालिका शिक्षा हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में चलायी जा रही योजनाएँ

- सी.बी.एस.ई. मेरिट स्कॉलरशिपः– इस योजना के द्वारा पूरे देश में एक लड़की के लिए एक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह योजना केवल सरकारी विद्यालयों अध्ययनरत् लड़कियों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के अर्न्तगत बालिकाओं को 500रू प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी।
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं– भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में बालिका शिक्षा एवं लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटों की तरह बेटियों को भी शिक्षित किया जाना साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को भी रोकना था।
- सुकन्या समृद्धि योजना– भारत सरकार के द्वारा बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया। यह योजना उन परिवारो के लिए अत्यंत लाभदायक है जो अपनी बेटी की शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। इस योजना के अन्तर्गत डाकघर या बैंक में जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता खोलना होगा और साथ ही माता–पिता को 14 साल तक बेटी के खाते में प्रतिमाह 1000 रू जमा करना है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार द्वारा लगभग 6 लाख रूपये दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना– बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं कन्या भ्रूण हत्या को बंद करने के लिए राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी भी सार्वजनिक विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के समय बालिकाओं को 4 हजार रूपये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना– बिहार सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए कन्या सुरक्षा योजना की शुरूआत की। इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाली लड़कियों को 2000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- मुख्यमंत्री लाडली योजना– झारखण्ड सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों के लड़कियों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया। इस योजना के द्वारा कक्षा 6 पर 2000 कक्षा 9 पर 4000 तथा कक्षा 11 पर 75000 रूपये की सहायता की जाएगी।
- मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा संवर्धन योजना– यह योजना उत्तर प्रदेश में मेधावी बालिकाओं के संवर्धन के लिए प्रारंभ की गयी। यह योजना कन्या विद्या धन के सुधार के रूप में लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 पास करने वाली बालिकाओं को 10,000 रूपये की सहायता दी जाएगी।
- बालिका समृद्धि योजना– भारत में बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी होने तक सरकार 500 रू प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना– बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेंतु 50 हजार रूपये की सहायता प्रदान करेगी। यह धनराशि बालिका के द्वारा डिग्री पूरी होने तक किश्तों में दी जाएगी।
- उड़ान योजना– इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान छात्राओं को तकनीक शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयारी करवाकर उन्हें इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश दिलवाना है।
- प्रगति स्कॉलरशिप– इस योजना के अन्तर्गत छात्राओं को तकनीक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में 4 हजार छात्राओं को प्रति वर्ष तकनीक शिक्षा के लिए 50 हजार रूपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

स्वतंत्र भारत में स्त्री साक्षरता की स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में सन् 1951 से सन् 2011 तक स्त्री साक्षरता की स्थिति को निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तलिका 1

वर्ष	कुल साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता दर	स्त्री साक्षरता दर
1951	18.3	27.2	8.9
1961	28.3	40.4	15.4
1971	34.5	46.0	22.0
1981	43.6	56.4	29.8
1991	52.2	64.1	39.3
2001	64.8	75.3	53.7
2011	73.0	80.9	64.6

स्रोत–जनसंख्या 2011 परीक्षावाणी संस्करण जुलाई 2014

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1991 से 2001 में स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि 14.4 प्रतिशत थी। सन् 1951 से 2011 तक स्त्री साक्षरता दर में 57.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1951 से पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर 18.3 प्रतिशत था, जो कि 2011 में 16.68 प्रतिशत रह गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् बालिकाओं की विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

सन् 1951 से 2020 तक बालकों के सापेक्ष बालिकाओं की नामांकन की स्थिति विभिन्न स्तरों पर निम्न तालिका द्वारा समझी जा सकती है। आंकड़े लाख में)

तलिका 2

स्तर / वर्ष	प्राथमिक (1–5)			उच्च प्राथमिक (6–8)		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1950–51	138	54	192	26	05	31
1960–61	236	114	350	51	16	67
1970–71	357	213	570	94	39	133
1980–81	453	285	738	139	68	207
2000–01	640	498	1138	253	175	428
2010–11	701	646	1347	327	292	619
2011–12	726	672	1398	331	299	630
2012–13	696	652	1348	333	317	650
2013–14	686	638	1324	341	323	664
2014–15	676	629	1305	345	327	672
2015–16	668	622	1290	347	328	675
2016–17	646	615	1261	341	325	666
2017–18	642	601	1243	339	319	658
2018–19	631	581	1212	334	311	645
2019–20	633	588	1221	335	310	645

स्रोत–यू डायस रिपोर्ट (2019–20)

उपरोक्त तालिका का आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 1951 में प्राथमिक स्तर पर 54 लाख बालिकाओं का नामांकन था, जबकि बालकों का नामांकन 134 लाख था जो कि बालिकाओं के नामांकन से लगभग ढ़ाई गुना ज्यादा था। यू डायस रिपोर्ट (2019–20) के अनुसार बालिकाओं का नामांकन 588 लाख जबकि बालकों का नामांकन 633 लाख था जिससे ज्ञात होता है कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बालिका शिक्षा की धीमी गति के कारण

भारत एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है। यहाँ बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को शिक्षा के अवसर पहले दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बालकों के द्वारा वंश की वृद्धि होती है इसलिए उनकी शिक्षा आवश्यक है। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की समस्या का सबसे बड़ा कारण अभिभावकों का जागरूक नहीं होना है। 21वीं सदी का 5वां भाग पूर्ण होने के बावजूद अनेक सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, दहेज हमारे समाज में प्रचलित हैं, जोकि बालिकाओं की शिक्षा में बाधक हैं। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी बालिकाओं की शिक्षा में बाधक है। अधिकांश माता–पिता पैसे की कमी के कारण बालिकाओं की शिक्षा को बीच में ही रोक देते हैं और शिक्षा का यह अवसर बालकों को देते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं घरेलू कार्य के कारण शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। ये बालिकाएं माता–पिता के साथ खेतों पर काम करना, घर पर अपने छोटे भाई–बहन की देखभाल, भोजन बनाना, घर की सफाई, बाहर से पानी लाना, जानवरों के लिए चारा लाना व भोजन बनाने हेतु ईंधन एकत्रित करना इत्यादि कार्य के कारण शिक्षा पूर्ण नही कर पाती हैं। कई क्षेत्रों में देखा गया है कि अभिभावक विद्यालय में किसी अध्यापिका की नियुक्ति नहीं होने के कारण भी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। विद्यालय गांव के समीप नहीं होने के कारण अथवा विद्यालय व घर के बीच नदी, नहर, नाला, जंगल, रेलवे लाइन होने के कारण भी सुरक्षा की दृष्टि से बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। कई स्थानों पर बालिकाओं हेतु अलग विद्यालय न होना, सुविधाओं का अभाव, विद्यालय स्टॉफ द्वारा अच्छा व्यवहार न किया जाना भी बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने के कारण हैं।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र की उन्नति में आधी आबादी का भी पूर्ण सहयोग होता है। भारत को अन्य विकसित देशों के भांति विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनना है तो बालकों के साथ–साथ समस्त बालिकाओं को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। हाल ही में भारत सरकार व विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं की समस्त बालिकाओं तक पहुँच होने पर शिक्षा के नए आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन 'भारत को विश्व गुरू बनाना' को नई उड़ान मिलेगी।

संदर्भ सूची

1. लाल, आर. (2015), भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं, मेरठः रस्तोगी प्रकाशन।
2. मन्नान, एम. (2016), शिक्षाः प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां (http://www.apnimaati.com) से प्राप्त।
3. नाटानी, एस.(2014), भारतीय समाज और नारी, नई दिल्लीः अटलांटिक प्रकाशन।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), एम०एच०आर०डी० प्रकाशन डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सारस्वत, एम. एवं गौतम एस. (2019), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं उसकी चुनौतियां, आगराः आलोक प्रकाशन
6. शर्मा, आर. ए. (2015), शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, मेरठः आर. लाल बुक डिपो।
7. सिंह, ए.के. (2014), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में शोध विधियों, वाराणसीः मोती लाल बनारसी दास।
8. शर्मा, पी. एवं अन्य (2013), महिला सशक्तीकरण एवं समग्र विकास, लखनऊः भारत बुक प्रकाशन
9. शुक्ला, एस एवं कटियार एस. (2016), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ, आगराः राखी प्रकाशन।
10. यादव, डी.एस. (2016), भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तीकरण, योजना (अंक–1), नई दिल्ली 648, सूचना भवन सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड।
11. जनसंख्या (2011), परीक्षावाणी, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
12. शिक्षा (अक्टूबर, 2019), कुरूक्षेत्र, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग, अंग 15।
13. नारी सशक्तीकरण (सितम्बर 2020), नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग अंक 11।
14. '90 प्रतिशत परिवारों में सिर्फ बेटों की चाहत' (शनिवार 25 दिसम्बर, 2021), दैनिक जागरण, कानपुर संस्करण, पृ.सं. 13।
15. http://udise.in/drc.htm
16. https://censusindia.gov.in/2011-Common/Archive.html

17. http://www.upefa.com/upefaweb/indexmain.php?do=menu2&lmid=28
18. https://udiseplus.gov.in/#/home
19. https://www.india.com/hindi-news/business-hindi/government-schemes-for-girls-in-india-5-government-schemes-are-being-run-in-the-country-for-daughters-know-how-to-get-benefits-5139596/
20. https://icdsupweb.org/up-bhagya-laxmi-yojana/
21. https://www.performindia.com/modi-government-steps-for-girl-education/?am
22. https://malala.org/girls-education